संख्या-74/2020/580/22-2-2018-17(136)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2020***

विषय:-जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी मौ0 आरिफ पुत्र श्री मौ0 अहमद हसन, निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15126/पर-7/सीमित सजा(एम-06-04-2018) दिनांक-17-04-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मौ0 आरिफ पुत्र श्री मौ0 अहमद हसन, निवासी ग्राम-खारी, थाना-हल्दौर, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 02.02-2012 को अपरान्ह् 02:00 बजे लगभग स्कूल से पढ़कर अपने गांव वापस आते समय करीमुद्दीन की पोती को रास्ते में पकड़ कर ईख के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-204/12 में भा0द0वि0 की धारा-376 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, बिजनौर के आदेश दिनांक 26.06.2013 द्वारा 10 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 02.04.2018 तक 05 वर्ष 00 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 04 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध किये जाने की संभावना होने तथा अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मौ0 आरिफ पुत्र श्री मौ0 अहमद हसन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मौ0 आरिफ (बन्दी संख्या-167/13) पुत्र श्री मौ0 अहमद हसन, निवासी जनपद-बिजनौर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-74/2020/580(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद बिजनौर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बिजनौर।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-74/2020/580/22-2-2018-17(136)/2018

दिनांक 31 जनवरी, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी मौ0 आरिफ (बन्दी संख्या-167/13) पुत्र श्री मौ0 अहमद हसन, निवासी ग्राम-खारी, थाना-हल्दौर, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 02.02-2012 को अपरान्ह् 02:00 बजे लगभग स्कूल से पढ़कर अपने गांव वापस आते समय करीमुद्दीन की पोती को रास्ते में पकड़ कर ईख के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-204/12 में भा0द0वि0 की धारा-376 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, बिजनौर के आदेश दिनांक 26.06.2013 द्वारा 10 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 02.04.2018 तक 05 वर्ष 00 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 04 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध किये जाने की संभावना होने तथा अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मौ0 आरिफ पुत्र श्री मौ0 अहमद हसन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।